न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 84/17

1. जानकी देवी पत्नि स्व0 दुर्गाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी पावाडेरा हाल कार्यरत सहायक अभियंता (ग्रामीण) जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सवाई माधोपुर रोड टोंक (राजस्थान)

अपीलांट

बनाम

मुन्नी देवी उर्फ युगलदेवी पुत्री रामविलास पत्नि बृजमोहन ब्राहम्ण निवासी प्लाट न0 44 फर्स्ट बी सेक्टर तीन प्रताप नगर के सामने टोक रोड सांगानेर जिला जयपुर (राजस्थान)

2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा मु0न0 169/11 निर्णय दिनांक 12.6.17)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री अजय शेखर दबे
2. रेस्पोडेट 1 की और से श्री सुधीर जैन

दिनांक 29.1.2020

निर्णय

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के मु0नं0 169/11 निर्णय व डिग्री दिनांक 12.6.17 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/वादिया द्वारा एक दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती तहत धारा 53 एवं 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि वादिया/रेस्पो0 उसकी सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविवादित पैतृक कृषि भूमि ख0न0 117 रकबा 1.37 है0 , ख0न0 117/2797 रकबा 0.25 है0, ख0न0 308 रकबा 0.64 है0 , ख0न0 309 रकबा 0.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.39 है0 वाके ग्राम ,पावाडेरा तहसील चौथ का बरवाडा मे स्थित है। जिसकी वादिया/रेस्पो0 एवं प्रतिवादिया/अपीलांट संख्या 1 दोनो 1/2, 1/2 हिस्से कीं खातेदार काश्तकार है एवं भूमि पर काबिज होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। ये भूमि पूर्व मे वादिया के पिता एवं प्रतिवादिया 1 के ससुर रामविलास शर्मा की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात थी। रामविलास के पुत्र का पूर्व मे ही देहवसान हो गया था जिसकी पत्नि प्रतिवादिया संख्या 1 है। खातेदार रामविलास की मृत्यु होने पर उसकी खातेदारी की भूमि का नामा0 वादिया एवं प्रतिवादीयां संख्या 1 तथा फूलादेवी (वादिया की माता एवं प्रतिवादिया संख्या 1 की सास) के हक मे बराबर बराबर 1/3 हिस्सा दिनांक 10.11.13 को स्वीकृत हुई और राजस्व अभिलेख मे इसका अंकन बतौर खातेदार कर दिया गया। फूलादेवी ने अपने हक और हिस्से का वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 1 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया। जिसका नामा0 संख्या 113 दिनांक 20.9.05 स्वीकृत किया जाकर भू अभिलेख मे 1/2 , 1/2 हिस्सा वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। वादिया एवं प्रतिवादिया के बीच वादग्रस्त भूमि का बंटवारा विधिवत एवं कानूनी रूप

Scanned by CamScanner

से नही हुआ है। वादिया भूमि मे बाउन्ड्रीवाल एवं नलकूप करवाना चाहती है जो बिना बंटवारे के संभव नही है। इसलिए वादिया ने प्रतिवादिया संख्या 1 से दिनांक 6.6.10 को वादग्रस्त भूमि का सहमति से विभाजन तहसील मे चलकर कराने के लिए कहा तो उनके द्वारा साफ मना कर दिया और ऐलानिया कहा कि प्रतिवादिय अत्यधिक रकबे पर काश्त करेगी जल्द से जल्द बिना विभाजन के विशिष्ट भू भाग का बेचान करेगी। यही वाद कारण उत्पन्न होनें पर वादिया/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश कर विवादित आराजीयात का विधिवत विभाजन कर प्रतिवादिया संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादिया/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादिया संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब गई। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय से पूर्व दीवानी प्रकिया संहिता की पालना नही की गई है इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। विवादित भूमि ख0न0 117,117/2793, 308, 309 किता 4 कुल रकबा 2.39 है0 वाके ग्राम पावाडेरा मे स्थित है। जो कि अपीलांट के ससुर की खातेदारी थी। पति की मौत के बाद मेरे ससुर के जीवनकाल मे ही हो गई थी। अतः ससुर का देहावसान के बाद भूमि का अधिकार सास फुला देवी के प्रार्थीयां के नाम ही रहनी चाहिए लेकिन रेस्पो0 व उसके पति व रिश्तेदारो ने राजस्व अधिकारियो से मिलकर रेस्पो0 को ही इसका दावेदार बनवा दिया। अपीलांट के कथन ससुर के जीवनकाल मे यह तय हुआ था कि प्रार्थीयां के भरण पोषण के लिए समस्त चल सम्पति उसे दी जावेगी इस पर रेस्पो0 को टोंक की जमात कालोनी मे स्थित एवं आवासीय भूखण्ड व करीब तीन लाख रूपये कीमत के पारिवारिक जेवर व नकदी दे दी गई तथा पावाडेरा स्थित विवादित कृषि भूमि का सम्पूर्ण भाग अपीलांट को दिया गया। रेस्पो0 चालाक किस्म की महिला है उसके द्वारा पारिवारिक विभाजन के समय चल अचल सम्पति के बंटवारे को अपनी स्वीकृति दी लेकिन चुपचाप स्वयं को ससुर का वारिस बताते हुए विवादित आराजीयात मे स्वयं के हिस्से का नामा0 भी खुलवा लिया वाद मे उसने वाद पेश कर दिया। पारिवारिक विभाजन के अनुसार प्रार्थीयां आज तक पावाडेरा स्थित विवादित भूमि पर काबिज है। जबकि रेस्पो0 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा हैं। इसकी पुष्टि अपीलांट ने अपने साक्ष्य के द्वारा की किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने सारे तथ्यो की अनदेखी कर आलोच्य निर्णय पारित कर दिया। इन सारे तथ्यो के आधार पर प्रार्थी अपीलांट ने विभाजन के वादपत्र मे दिये गये अपने जबाब मे उक्त तथ्यो का अंकन करने

Scanned by CamScanner

के साथ ही काउन्टर क्लेम लिया जिसमे अपीलांट को विवादित आराजीयात का तन्हा खातेदार घोषित करने का अवलम्बन लिया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस बारे मे अपने निर्णय मे एक शब्द भी नही लिखा है। पारिवारिक बंटवारे के अनुसार ही अपीलांट पावाडेरा स्थित विवादित आराजीयात पर अपनें ससुर क जीवन काल से अब तक काबिज है । रेंस्पो0 अपनी चालाकी से बनाये गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर बंटवारे का निर्णय करवाकर जमीन हडपना चाहता है। जिसका उसको अधिकार नही है। फुला देवी अपीलांट की सास के जीवनकाल मे मौखिक रूप से रिश्तेदारो के सामने तय हुआ था कि चल सम्पति मुन्नी देवी के नाम रहेगी तथा अंचल सम्पति जानकी देवी पुत्र बधु के पास रहेगी। इसके पश्चात से अपीलार्थी साबिक जमीन पर काबिज है। फूलादेवी की मृत्यु के पश्चात उभयपक्ष के नाम नामा0 दर्ज हो गया । मुन्नी देवी ने अपने बयानो मे स्वीकार किया है कि विवादित आराजी एक चक मे है या अलग अलग है। विवादित भूमि पर कब्जा अपीलांट का लगातार है। अधिनस्थ न्यायालय ने आलोच्य फैसले का तनकी कर निर्णय भी नही किया न ही उसमे काउन्टर क्लेम की विवेचना की न ही उसे स्वीकार किया या खारिज किया । इस प्रकार आलोच्य निर्णय पुष्टि योग्य नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री दिनांक 12.6.17 निरस्त कर दावा खारिज करने की कृपा करे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि भूमि ख0न0 117 रकबा 1.37 है0 , ख0न0 117/2797 रकबा 0.25 है0, ख0न0 308 रकबा 0.64 है0 , ख0न0 309 रकबा 0.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.39 है0 वाके ग्राम पावाडेरा तहसील चौथ का बरवाडा मे स्थित है। जिसकी रेस्पो0 एवं अपीलांट संख्या 1 दोनो 1/2, 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है एवं भूमि पर काबिज होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। ये भूमि पूर्व मे रेस्पो0 के पिता एवं अपीलांट संख्या 1 के ससुर रामविलास शर्मा की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात थी। रामविलास के पुत्र का पूर्व मे ही देहवसान हो गया था जिसकी पत्नि अपीलांट संख्या 1 है। खातेदार रामविलास की मृत्यु होने पर उसकी खातेदारी की भूमि का नामा0 रेस्पो0 एवं अपीलांट संख्या 1 तथा फूलादेवी (रेस्पो0 की माता एवं अपीलांट संख्या 1 की सास) के हक मे बराबर बराबर 1/3 हिस्सा दिनांक 10.11.13 को स्वीकृत हुई और राजस्व अभिलेख मे इसका अंकन बतौर खातेदार कर दिया गया। फूलादेवी ने अपने हक और हिस्से का रेस्पो0 एवं अपीलांट संख्या 1 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया। जिसका नामा0 संख्या 113 दिनांक 20.9.05 स्वीकृत किया जाकर भू अभिलेख मे 1/2 , 1/2 हिस्सा वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2065–68 प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित आराजीयात जानकीदेवी पत्नि स्व0दुर्गाशंकर हिस्सा 1/2 तथा मुन्नी देवी पुत्री रामविलास हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबंदी सम्वत 2057 के अनुसार विवादित आराजीयात रामविलास पुत्र गंगाधर ब्राहम्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पैतृक भूमि है। जिसका नामा0 संख्या 10 विरासत से दिनांक 10.11.13 के द्वारा फुलादेवी

Scanned by CamScanner

पत्नि रामविलास हिस्सा 1/3 जानकी देवी पत्नि स्व0दुर्गा शंकर हिस्सा 1/3 मुन्नी देवी पुत्री रामविलास 1/3 के नाम स्वीकार होना दर्ज रिकार्ड है। रेस्पो0 की मांग फुला देवी द्वारा उसके हिस्से की आराजीयात को दोनो को हक त्याग किये जाने के कारण ही विवादित आराजीयात की 1/2 हिस्से की भूमि पर अधिकार प्राप्त है। इस कारण ही अपने हिस्से का विकास कराने व नलकूप लगाने हेतु अपीलांट संख्या 1 से कहे जाने पर उसके द्वारा मनाही करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया था। इसके अतिरिक्त जबाब दावे के साथ काउन्टर क्लेम पेश नही कर दिनांक 6.1.12 को पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.4.12 को खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष की और से साक्ष्य कराये जाने के पश्चात प्रत्येक तनकी का पूर्ण रूप से विवेचन करने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिक रूप से सही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। 2011 (1)आर आर टी पेज 540 सप्रीम कोर्ट एवं 2016 आर आर डी पेज 464 उच्च न्यायालय पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया । मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2057 ग्राम पांवडेरा तहसील चौथ का बरवाडा की विवादित आराजीयात रामविलास पुत्र गंगाधर ब्राहम्ण के नाम दर्ज है। जिसका नामा0 संख्या 10 विरासत सें दिनांक 10.11.03 के द्वारा फूलादेवी पत्नि रामविलास हिस्सा 1/3 जानकी देवी पत्नि स्व0दुर्गाशंकर हिस्सा 1/3 मुन्नी देवी पुत्री रामविलास हिस्सा 1/3 के नाम स्वीकार हुआ है। फुलादेवी द्वारा हकत्याग करने के पश्चात नामा0 संख्या 113 दिनांक 20.9.05 से फुलादेवी के बजाय जानकी देवी पत्नि स्व0दुर्गाशंकर हिस्सा 1/2 निवासी टोंक मुन्नी देवी पुत्री रामविलास हिस्सा 1/2 जाति ब्राहम्ण सा0 देह के नाम स्वीकार हुआ है। इस प्रकार विवादित आराजीयात की वादिया/रेस्पो0 एवं प्रतिवादिया संख्या 1 जानकी 1/2 , 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का पूर्ण विवेचन करने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः आदेश है कि अपीलाट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के मु0न0 169/11 निर्णय व डिग्री दिनांक 12.6.17 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29.1.20

राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपीलीय प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.27 16:34:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: